

“फॉर्म 1

[डिजाइन अधिनियम, 2000]

डिजाइन पंजीकरण हेतु आवेदन (धारा 5 और 44 देखें)

(फीस के लिए प्रथम अनुसूची देखें)	अनुरोध है कि संलग्न को वर्ग सं. ^क में ^ख के नाम में रजिस्टर करें जो इसका स्वत्वधारी होने का दावा करता है (करते हैं)। प्राकृत व्यक्ति () स्टार्टअप () छोटी संस्था () अन्य () ^{ब1}
^क वर्ग संख्या प्रविष्ट करें ^ख पूर्ण पता और राष्ट्रीयता प्रविष्ट करें ^{ब1} आवेदक की श्रेणी [कृपया उपयुक्त श्रेणी पर निशान (✓) लगाएँ]	इस अनुरोध के साथ डिजाइन के चार बिल्कुल समान ^ग संलग्न है।
^ग क्या आरेख, फोटोग्राफ, ट्रेसिंग या नमूना है कि नहीं बताएँ	डिजाइन ^घ पर लागू होगा
^घ जिसके लिए डिजाइन आवेदन किया गया है उस वस्तु या वस्तुओं का नाम प्रविष्ट करें अथवा सेट में निहित सभी वस्तुओं में से प्रत्येक का व्यापार विवरण बताएँ	^ङ डिजाइन का पिछला पंजीकरण वर्ग (वर्गों)..... संख्या के तहत किया गया है किस कन्वेंशन देश या देशों के समूह या अंतर-सरकारी संगठनों में दाखिल प्रथम आवेदन का विवरण i. देश / अंतर-सरकारी संगठन का नाम ii. आवेदन की तारीख iii. आवेदन संख्या iv. आवेदक का नाम
^ङ इन शब्दों को काट दें यदि पिछला पंजीकरण प्रभावी हो गया हो	^च भारत में सेवार्थ पता है ईमेल आईडी : मोबाईल नं:
^च अनुरोध पर तब तक विचार नहीं किया जाएगा जबतक भारत में सेवार्थ पता नहीं दिया गया हो	उद्घोषणा : आवेदक इस डिजाइन का स्वत्वधारी होने का दावा करता है / करते हैं और यह कि उनके सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार यह डिजाइन नवीन या मौलिक है। तारीख 20..... (हस्ताक्षरित) ^छ
^छ आवेदक या प्राधिकृत एजेंट द्वारा हस्ताक्षर किया जाएगा	उद्घोषणा : आवेदक इस डिजाइन का स्वत्वधारी होने का दावा करता है / करते हैं और यह कि उनके सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार यह डिजाइन नवीन या मौलिक है। तारीख 20..... (हस्ताक्षरित) ^छ

सेवा में,
 नियंत्रक, डिजाइन
 पेटेंट कार्यालय,

* यह शब्द काट दें यदि कोई पूर्व पंजीकरण या प्रायिकता प्रभावी ना की गई हो।”